न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मोहन बनाम भूमिधारी वगै०

प्रा०पत्र सं: 17/2019

31/10/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सारभूत विवेचन कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सघन आबादी के नजदीक होने व आधी भूमि में मकान बने होने से सेटिलमेन्ट विभाग से सीमाज्ञान कराया जाना उचित है एवं इसके पश्चात ही पत्थरगढ़ी की जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द पटवार हल्का मावण्डा खुर्द स्थित खसरा नंबर 309 रकबा 0.18 हेक्टे0 प्रार्थी व प्रार्थी के पिता की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मावण्डा खुर्द पटवार हल्का मावण्डा खुर्द स्थित खसरा नंबर 309 रकबा 0.18 हैक्टे0 की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2019 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)